निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या /SR-44/2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उप निबंधक, ऋषिकेश (देहरादून)** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उप निबंधक, ऋषिकेश (देहरादून) के माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय कुमार मिश्रा एवं श्री विनय कुमार द्विवेदी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री अजय सिंह, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 09.07.2018 से 18.07.2018 तक श्री आर.एस.नेगी-II, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **(1)परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रमेश कुमार केशरी, अजय मिश्रा सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 17.07.2017 से 25.07.2017 तक श्री अशोक कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** -

3. (ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत वर्षो मे कार्यालय (आबकारी विभाग) द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2015-16	4857.95
2016-17	4961.39
2017-18	4905.25

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)`	बचत (-)`
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2015-16								
2016-17					शून्य			
2017-18								

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
ऐसी कोई योजना नहीं है।					

(iii)इकाई को बजट आवंटन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई -C--श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

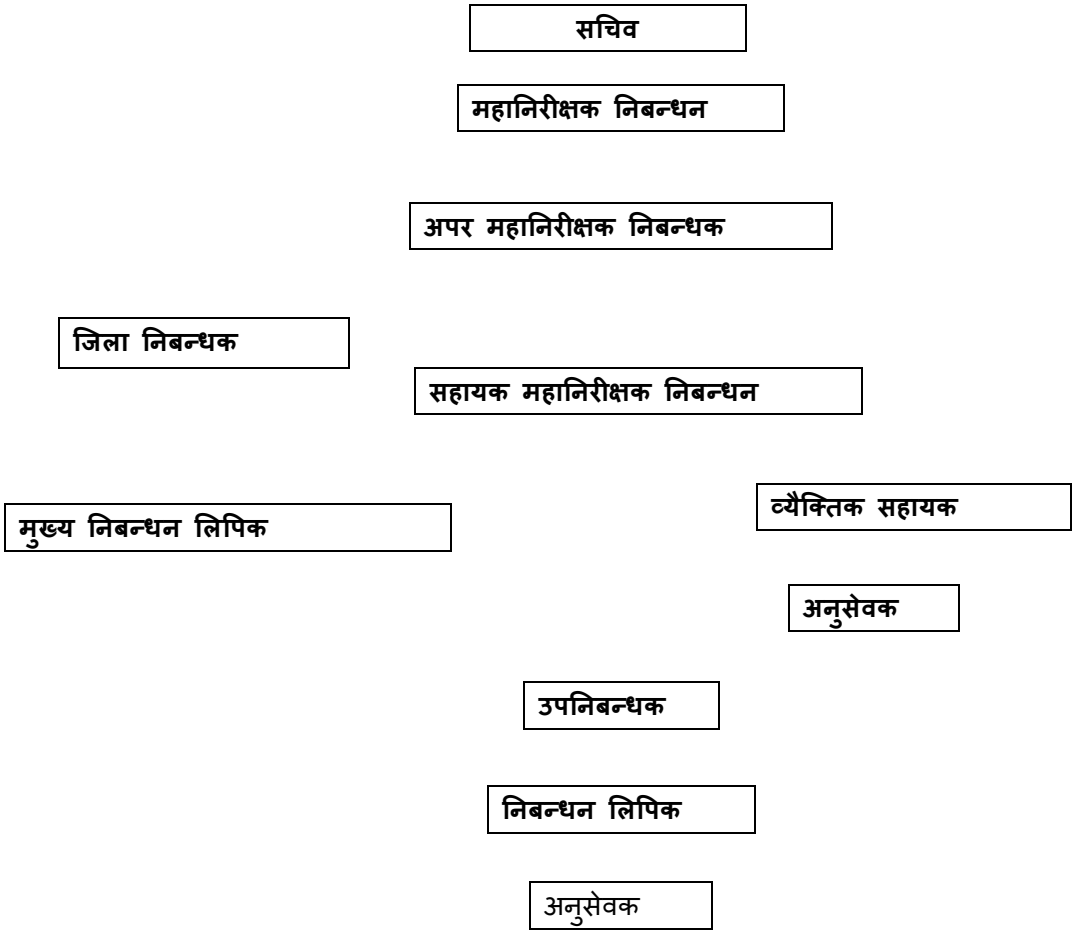

(v) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में तहसील ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत स्थित समस्त भौगोलिक क्षेत्र, एवं लेन देन लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उप निबंधक, ऋषिकेश (देहरादून)** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

राजस्वः माह 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

व्ययः माह -------- को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- लागू नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग 2 'ब'</u>

प्रस्तर सं०1: टीडीएस जमा नही किए जाने के कारण राजस्व क्षति `4.19 लाख /-

अपर महानिरीक्षक निबंधन उत्तराखंड के पत्रांक 535 दिनांक 27-08-2013 के अंतर्गत आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194-1A द्वारा ` 50 लाख या उससे अधिक मूल्य के हस्तानंतरण विलेखो पर 1 % की दर से क्रेता द्वारा टीडीएस का भुगतान किए जाने के निर्देश दिये गए हैं |

कार्यालय उप निबंधक ऋषिकेश के 04/2017 से 03/2018 तक के अभिलेखो की विलेखो से संबन्धित नमूना लेखापरीक्षा जांच मे विलेख पत्रो मे निम्नलिखित कामियाँ पाई गई थी, जिनके विवरण निम्न हैं :

(1) बही -01, जिल्द संख्या 4373, क्रमांक 385 दिनांक 12-01-18 को पंजीकृत कराया गया था जिसपर क्रेता द्वारा स्टाम्प शुल्क ` 250500/-जमा किया गया था भूमि बाजारी मूल्यांकन की धनराशि ` 5010000/-एवं वयनामा की धनराशि ` 50,10,000/- पर नियमानुसार टीडीएस ` 50,100/- की कटौती नहीं की गई थी|जिसके कारण ` 50,100 /- की राजस्व हानि हुई थी|

(2) बही -01, जिल्द संख्या 4143, क्रमांक 2773 दिनांक 18-05-17 को पंजीकृत विलेख पर क्रेता द्वारा विक्रेता को मालियत विक्रय मूल्य `166,00,000/- का पूर्ण भुगतान किया गया था भूमि आवासीय प्रयोजन से ली गयी थी इसलिए एक प्रतिशत टीडीएस ` 1,66,000/- की कटौती आय कर मद में की जानी थी जो नहीं की गयी पायी।

(3) बही -01, जिल्द संख्य 4156, क्रमांक 3079 दिनांक 30.05.2017 को पंजीकृत विलेख पर क्रेता द्वारा विक्रेता को मालियत विक्रय मूल्य `1,32,48,000/- का पूर्ण भुगतान किया गया था भूमि आवासीय प्रयोजन से ली गयी थी इसलिए एक प्रतिशत टीडीएस ` 1,32,480/- की कटौती आय कर मद में की जानी थी जो नहीं की गयी पायी।

(4) बही 01, जिल्द संख्य 4313, क्रमांक 6705 दिनांक 20.11.2017 को पंजीकृत विलेख पर क्रेता द्वारा विक्रेता को मालियत विक्रय मूल्य ` 70,00,000/- का पूर्ण भुगतान किया गया था भूमि आवासीय प्रयोजन से ली गयी थी इसलिए

एक प्रतिशत टीडीएस ` 70,000/- की कटौती आय कर मद में की जानी थी जो नहीं की गयी पायी।

इस प्रकार, टी0डी0एस0 रूपए 50,100 (+) रूपए 1,66,000 (+) रूपए 1,32,480 (+) ` 70,000 = ` 4,18,580/- की कटौती नहीं किए जाने के कारण राजस्व हानि हुई थी। उक्त प्रकरणों का निबंधन भी तब तक नहीं किया जाना ता जब तक कि संबंधित चालान को विलेख के साथ संलग्न न किया जाए।

उक्त के संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया कि लेखापरीक्षा के द्वारा जो कमी टीडीएस के संबंधी दर्शाई है के संबंध में जाँचोपरांत लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

अत: टीडीएस ` 4,18,580/- की कमी का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग 2 'ब'</u>

प्रस्तर सं॰ 2 : निबंधन शुल्क का अनारोपण ` 0.18 लाख।

भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम - 1908 के परिशिष्ठ - 7 की टिप्पणी 1 में प्रावधान किया गया है कि किसी दस्तावेज़ के निबंधन के लिए फीस जिसमें सुभिन्न मामले समाविष्ट हों, ऐसे फीस योग्य होगी, जो प्रत्येक ऐसे विषय को समाविष्ट करने वाली या उससे संबन्धित पृथक-2 दस्तावेज़ पर प्रभार्य होगी ।

(1) कार्यालय उप निबंधक ऋषिकेश के माह 04/2017 से 03/2018 तक की अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि बही सं॰ 1, जिल्द 4117 क्रमांक 2161 दिनांक 18.04.2017 को निबंधित विलेख में वर्णित संपत्ति में विक्रेता दो है जो अपने-अपने हिस्से की भूमि का विक्रय कर रहे है एव उक्त विक्रेताओ के आपस मे कोई पारिवारिक संबंध नहीं हैं, इसके अतिरिक्त विक्रय मूल्य की राशि दो बराबर हिस्सों में (रूपए 924150 प्रति) अलग अलग प्राप्त की गयी थी। साथ ही विक्रीत भूमि का रकबा दो बराबर हिस्सों (प्रत्येक 382.66 वर्ग मीटर) में उल्लेख किया गया है इससे स्पष्ट होता हैं कि विक्रेताओ द्वारा अपने अपने हिस्से की भूमि विक्रय की गयी है इसलिए निबंधन शुल्क दो हिस्सों में लिया जाना चाहिए था, जो कि नही लिया गया था निबंधन शुल्क की गणना निम्न प्रकार से है।

कुल निबंधन शुल्क प्रभार्य
प्रथम विक्रेता पर : ₹9,24,150x 2%= ₹ 18483/-
द्वितीय विक्रेता पर : ₹9,24,150x 2%= ₹ 18483/-
कुल देय निबंधन शुल्क : ₹ 36,966/-
भुगतान किया गया निबंधन शुल्क = ₹ 25000/-
शेष निबंधन शुल्क जो भुगतान किया जाना है = ₹ 11,966/-

(2) कार्यालय उप निबंधक के ऋषिकेश के माह 04/2017 से 03/2018 तक के अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा जाँच में पाया गया कि बही सं॰ 1, जिल्द 4132 क्रमांक 2529 दिनांक 04.05.2017 को निबंधित विलेख में वर्णित संपत्ति में विक्रेता दो है जो अपने-अपने हिस्से की भूमि का विक्रय

कर रहे है (प्रथम विक्रेता के हिस्से कि भूमि 167.28 वर्ग मी० तथा द्वितीय विक्रेता के हिस्से कि भूमि 41.82) इस प्रकार दोनों विक्रेताओं का अंश खुला हुआ है तथा निबंधन शुल्क दो लिया जाना चाहिए था, जो कि नही लिया गया था निबंधन शुल्क की गणना निम्न प्रकार से है:

कुल निबंधन शुल्क प्रभार्य
प्रथमविक्रेता का भाग :₹ 1254600/- (167.28 वर्ग मी० x ` 7500)
निबंधन शुल्क : ₹ 1254600/- X 2% = ` 25092/-
अधिकतम निबंधन शुल्क = ` 25000/-
द्वितीय विक्रेता का भाग : ` 313650/- (41.82 वर्ग मी० x ` 7500)
निबंधन शुल्क : ₹ 313650/- X 2% = ` 6273/-
कुल देय निबंधन शुल्क : `31,273/- (25,000+6273)
भुगतान किया गया निबंधन शुल्क = `25000/-
शेष निबंधन शुल्क जो भुगतान किया जाना है = `6,273/-

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने कहा कि प्रश्नगत विलेख में लेखापरीक्षा आपत्ति के संदर्भ में जाँचोंपरांत कार्यालय महालेखाकर उत्तराखंड को सूचित किया जायेगा।

अत: निबंधन शुल्क ₹ 18,239/- अनारोपित रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रारम्भ की स्थिति		निस्तारण		अवशेष	
	अ	ब	अ	ब	अ	ब
257/2002-03	1,2,3	-	-	-	1,2,3	-
312/1999-2000	-	1	-	-	-	1
348/2001-02	-	1	-	-	-	1
19/2004-05	3(a)(b)(c)	-	-	-	3(a)(b)(c)	-
31/2008-09	1	-	-	-	1	-
22/2011-12	-	1,2 STAN 1,2	-	-	-	1,2 STAN 1,2
35/2014-15	1,2	-	-	-	1,2	-
31/2015-16	1	1	-	-	1	1
2016-17	निष्पादन लेखापरीक्षा में सम्मिलित किया गया है।					
42/2017-18	-	1,2 STAN 1	-	-	-	1,2STAN 1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी
	शून्य		

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय उप निबंधक, ऋषिकेश (देहरादून)** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

   शून्य टिप्पणी

2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	तिथि
(i)	श्री जितेन्द्र कुमार	उपनिबन्धक	16.07.2011 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय उप निबंधक, ऋषिकेश (देहरादून)** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
राजस्व क्षेत्र